मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1420 /एफ–3–08/2019/तेरह   भोपाल, दिनांक 22 FEB 2019

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
   एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर।

2. प्रबंध संचालक,
   म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

विषयः—घरेलू उपभोक्ताओं के लिए "इंदिरा गृह ज्योति योजना" लागू करने के संबंध में।

संदर्भः—विभाग का परिपत्र कमांक 1164/एफ–3–08/2019/तेरह, भोपाल दिनांक 13.2.2019

:—:

कृपया उपरोक्त संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त परिपत्र के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि "इंदिरा गृह ज्योति योजना" में अंतरित सरल उपभोक्ताओं से 100 यूनिट से अधिक उपयोग की दशा में, अधिक खपत हेतु भुगतान प्राप्त करने के स्थान पर ऐसे उपभोक्ताओं की बिलिंग सरल बिजली बिल स्कीम अनुसार (अधिकतम 200 रूपये) ही पूर्व की भांति आगामी आदेश तक जारी रखी जाये। 100 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उक्त हितग्राहियों को ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूक किया जाये एवं उन्हें समझाईश दी जाये कि वे अपनी खपत को यथासंभव 100 यूनिट के भीतर रखने का प्रयास करें, जिससे वे इंदिरा गृह ज्योति योजना अंतर्गत 200 रूपये के स्थान पर मात्र 100 रूपये के मासिक भुगतान पर बिजली प्राप्त कर सकें।

(पी.के. चतुर्वेदी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग